समाचार-प्रकाशनार्थ:-

नेषनल लोक अदालत का 11 सितम्बर षनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 9 सितम्बर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 11 सितम्बर 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10ए000ध् से अधिक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000ध् से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2020.21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 11ध्09ध्2021 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 11 सितम्बर 2021 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा निर्माणाधीन पेवेलियन का निरीक्षण

25 सितम्बर तक शेष कार्य पूर्ण करने के दिये निर्देश

रतलाम 9 सितम्बर । पोलोग्राउण्ड में निर्माणाधीन पेवेलियन निर्माण कार्य का कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल के साथ कर शेष रहे कार्यो को 25 सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश ठेकेदार श्री अनुप धनोतिया को दिये।

षहरी क्षेत्र से अब तक 26 भैंसो के तबेले हटाये

9 सितम्बर को 5 भैंसो के तबलो को तोड़कर तोड़ने की राषि वसूली

भैंसो व अन्य पषुओं के षेश बचे बाड़े व तबेले 11 सितम्बर को तोड़े जायेंगे

रतलाम 09 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु निगम नगर निगम एक्ट के विरूद्ध नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित भैंसो के तबेले व बाड़े हटाने के अभियान के तहत तबेले संचालकों को अपने तबेले स्वंय तोड़ने की समय सीमा 7 सितम्बर समाप्त होने के बाद निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 9 सितम्बर को झोन क्रमांक 4 के अन्तर्गत संचालित 5 तबेलों को तोड़ा जाकर तबेले मालिकों से तबेले तोड़ने की राशि वसूली। भैंसो व अन्य पशुओं के शेष बचे तबेले

एवं बाड़े 11 सितम्बर शनिवार को तोड़े जायेंगे साथ साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 9 सितम्बर गुरूवार को भैंसो के बाड़े व तबेले तोड़ने का कार्य प्रातः 10 बजे रत्नेश्वर रोड से प्रारंभ किया गया जिसके तहत जीतमल राठौड़ए गोविन्द मेहना रत्नेश्वर रोडए लाला घोसीए राधेश्याम गुर्जर धभाईजी का वासए राजेश राठौड़ वसंत कालोनी द्वारा अपने तबेले नहीं हटाये जाने की स्थिति में उक्त तबेलों को जेसीबी मशीनए गैंग आदि के माध्यम से हटाया गया। इसके अलावा संतोष गुर्जर व राहूल गुर्जर धभाई जी का वास के तबेले पूर्व से ही बंद होकर तबेलो को निवास हेतु उपयोग हेतु पाये गये। इस तरह नगर निगम द्वारा अब तक शहरी क्षेत्र से कुल 26 तबेलो को हटाया गया यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
तबेले तोड़ने की कार्यवाही के दौरान लाला घोसी धभाईजी का वास से 15ए000ए जीतमल राठौडए गोविन्द मेहना रत्नेश्वर रोडए राधेश्याम राठौड़ वसंत कालोनी से 10000.10000ए राधेश्याम गुर्जर धभाई जी का वास से 5000 हजार की राशि तबेले तोड़ने हेतु वसूली। इसके अलावा प्रताप नगर ब्रीज के पास सज्जाद द्वारा सुकले का भण्डारण करने पर 5000 की राशि वसूली।
ज्ञातव्य है कि नगर निगम सभागृह में 04 सितम्बर शनिवार को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम द्वारा नागरिकों नगर निगम से संबंधित शिकायतें सुनने व निराकरण करने के दौरान गवली समाज व अन्य पशु पालकों द्वारा अपने बाड़े व तबेले स्वंय तोड़े जाने हेतु समय की मांग किये जाने पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने उन्हे 3 दिवस का समय दिया गया था।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशी व उनके बाड़े व तबेलों शहर तो गंदा होता ही है साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते है जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है इस पर काबू पाये जाने हेतु नगर निगम

द्वारा संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही निगम एक्ट के विरूद्ध शहर में संचालित गायए भैंसए सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। मवेशी पालकों के अनुरोध पर उन्हे तीन दिवस का समय दिया गया है नियत समयावधि में मवेशी पालक द्वारा तबेले व बाड़े स्वंय नहीं हटाते है तो उन्हे नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर 15 हजार रूपये प्रतिघन्टा के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जावेगी।

तबेले हटाने की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी सर्वश्री विनय चौहानए किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए वार्ड दरोगा सहित निगम के स्वास्थ्यए लोक निर्माण विभाग अमले के साथ ही पुलिस प्रशासन उपस्थित था।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

9 सितम्बर को 75 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 09 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 09 सितम्बर गुरूवार को 75 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

09 सितम्बर गुरूवार को डम्पर व टेªक्टर से 39435ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 13810ए काम्पेक्टर गीला 22665 किलो इस तरह कुल 75610 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1128 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 09 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2694 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1395 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1105 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 23 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 09 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।
नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 09 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 09 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 09 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/09ण्09ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.